भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
भोपालपानी, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्याः /भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 18.10.2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है:–

"The submission of the petitioner is that the mining rights have been granted by the State / respondents contrary to the Notification dated 14.09.2006, issued by the Ministry of Environment and Forest, Government of India., 3. Issue notice., 4. Mr. Rajeev Singh Bisht, learned Additional Chief Standing Counsel for the State, appears and accepts notice on behalf of respondents., 5. We direct the petitioner to implead the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Pollution Control Board, as party respondents., 6. Steps be taken within a week., 7. Notice shall be issued to SEIAA and State Pollution Control Board, returnable on 27.12.2023, by all permitted modes, including electronically., 8. List the matter on 27.12.2023. In the meantime, we direct that, in case, the environment impact assessment and clearance has not been granted, the tender process shall not be proceeded in pursuance to the auction notice dated 26.09.2023." उक्त आदेश की प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र दिनांक 18.10.2023 के द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है।

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 3278/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा जनपद चम्पावत, तहसील चम्पावत, के ग्राम दियूरी–3 कुल क्षेत्रफल 7.37 है0 उपखनिज क्षेत्र को उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम–20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों को भारत के नागरिक/नागरिको की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा द्वारा जनपद नैनीताल के 12 लॉट, जनपद देहरादून के 17 लॉट, जनपद हरिद्वार के 09 लॉट, जनपद ऊधमसिंह नगर के 08 लॉट, कुल 46 चिन्हित रिक्त उपखनिज लॉटों को उक्त नियमावली के नियम–20(2) के प्रावधानानुसार राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु ई–निविदा आमत्रित की गयी जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 19.10.2023 को अपरान्ह 12:00 बजे खोली जानी निर्धारित थी।

अतः उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश दिंनाक 18.10.2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्याः 3278/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एंव संख्याः 3279/भू0खनि0नि0 /ई0नीला0/2023–24 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु जारी निविदा सूचना के सम्बन्ध में निविदा की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक निविदा खोले जाने की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 3766/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल को, उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, औद्योगिक विकास, (खनन), उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल एंव चम्पावत।
4. जिला खान आधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल एंव चम्पावत।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति तत्काल www.uktenders.gov.in uh एवं विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

19/10/23

(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक